



### प्रारूप संख्या एसटीके-6

#### सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/395

दिनांक: -26/06/2024

#### संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (9) कम्पनियों का नाम **राजस्थान** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AA8355928	U47731RJ2023OPC089134	विजनरी आईवियर एक्सपर्ट (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
2	AA8380253	U72900RJ2022PTC085512	मोसबोर्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
3	AA8446992	U70109RJ2021PTC077935	राम दयाल बड़ोदिया रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
4	AA8234239	U72900RJ2020PTC071385	औविको डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
5	AA8425252	U93090RJ2019PTC066892	योर हार्वे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
6	AA8217528	U55209RJ2019PTC066318	व्हाइटऑफिशियल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AA8410163	U15549RJ2019PTC064563	आरएसडी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AA8453669	U52609RJ2017PTC057978	सिंघवी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
9	AA8500556	U52190RJ2003PTC018066	रियल रिवोल्यूशन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू  
रजिस्ट्रार  
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र